प्रेस नोट

थाना नवाबाद, जनपद झाँसी

दिनांक – 29.04.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही निरंतर जारी।**
- **100 करोड़ रुपये से अधिक के ऑनलाइन सट्टा/जुआ सिंडिकेट से जुड़े 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 08 मोबाइल फोन, 01 टैबलेट, 84,500/- रुपये नगद, 01 फार्चूनर कार, एवं 100 करोड़ के अवैध सट्टे/जुए का बहीखाता बरामद किया गया, विभिन्न बैंक खातों में जमा 50,00,000/- की धनराशि को फ्रीज़ कराया गया,**
- **गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना नवाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 29.04.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर के माध्यम से विभिन्न साइट्स पर आईपीएल मैच पर आनलाइन/ऑफलाइन सट्टा खेलाकर संगठित अपराध कारित करने वाले संगठित गिरोह की सूचना जरिये मुखबिर प्राप्त होने पर थाना पुलिस बल द्वारा मुखबिर के बताये स्थान मुस्तरा से सखी के हनुमान मन्दिर के पास स्थित नवनिर्मित जेडीए कालोनी से पहाड़ी के रास्ते पर दबिश दी गयी जिस पर फार्चूनर गाड़ी में सवार तीन अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से अपनी फार्चूनर गाड़ी से सरकारी बोलेरो गाड़ी में सामने से टक्कर मार दी जिससे गाड़ी चालक व आगे बैठे उ0नि0 निखिल कुमार को चोटें आई। पुलिस बल द्वारा हिकमत अमली से गाड़ी सवार तीनों व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार करते हुये उनके पास से सट्टा सम्बन्धित मोबाइल फोन, टैबलेट, रजिस्टर्स, डायरी, हिसाब किताब की कॉपी व एक अदद फार्चूनर कार, जामातलाशी से कुल 84,500/- रुपये एवं 100 करोड़ के अवैध सट्टे/जुए का बहीखाता बरामद हुआ। साथ ही विभिन्न बैंक खातो में जमा 50,00,000/- की धनराशि को फ्रीज़ कराया गया। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 215/2026 धारा 109(1),111(2) बीएनएस व धारा 3/13 जुआ

अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनाँक 29.04.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर मुस्तरा से सखी के हनुमान मन्दिर के पास स्थित नवनिर्मित जेडीए कालोनी से पहाड़ी के रास्ते पर दबिश दी गयी जिस पर अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से अपनी-अपनी फार्चूनर गाड़ी से सरकारी बोलेरो गाड़ी में टक्कर मार देना जिससे सरकारी गाड़ी चालक व उ0नि0 के घायल हो जाने के सम्बन्ध में मौके से गिरफ्तार अभियुक्तगण शुभम उपाध्याय, विजय बाधवा, नितिन अग्रवाल के कब्जे से कुल 08 मोबाइल फोन व 01 टैबलेट (सट्टे से सम्बन्धित) 84,500/- रूपये नगद, 01 फार्चूनर कार, व अन्य रजिस्टर, कॉपी, डायरी आदि बरामद हुये। अभियुक्तगण द्वारा ऑनलाईन सट्टा की विभिन्न वेबसाईट्स 1ex99.in, bbmw99.com जैसी विभिन्न साइटों के माध्यम से आईपीएल मैच पर ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन पाये गये।

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि इनके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ पाने के लिए ऑनलाईन/ऑफलाइन प्लेटफार्म उपरोक्त साइटों पर जुआ/सट्टा खिलाकर इनके द्वारा संचालित की जा रही एपआईडी से अर्जित अवैध धन को अलग-अलग बैंक खातो में जमा किया गया। अभियुक्त शुभम उपाध्याय द्वारा अवैध जुए व सट्टे से अर्जित धन को व्यक्तिगत, पत्नी एवं बच्चों के नाम से कुल 05 विभिन्न बैंक खातों में लगभग 50 लाख की धनराशि जमा की गई है। साथ ही झांसी शहर में विभिन्न स्थानों पर कुल 05 प्लाट व 02 फार्महाउस तथा 01 दुकान की खरीददारी इसी अवैध धन से की गई है। अभियुक्त नितिन अग्रवाल के द्वारा भी झांसी तथा धौलपुर राजस्थान में भूमि/प्लाट की खरीददारी अवैध जुए/सट्टे से अर्जित धन से की गई है तथा अपने स्वयं व अपने परिवारीजन के नाम से विभिन्न बैंक खातों में जुए/सट्टे से अर्जित अवैध धनराशि जमा की गई है एवं अभियुक्त विजय वाधवा द्वारा भी अवैध जुए/सट्टे से अर्जित धन से चल अचल सम्पत्ति का निर्माण किया गया है। उपरोक्त अभियुक्तगण के बैंक खातों में जमा अवैध धनराशि को सीज/फ्रीज करने की कार्यवाही की गई।

प्रकरण में संलिप्त समस्त अभियुक्तगण के फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज की गहन जांच की जा रही है। झाँसी पुलिस द्वारा इस संगठित सट्टा नेटवर्क के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए आगे गैंगस्टर एक्ट एवं संपत्ति कुर्की की कार्यवाही भी की जाएगी।

बरामदगी का विवरणः-

1. 08 अदद मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियों के जिस पर आनलाईन सट्टा की वेबसाईट 1ex99.in जिसकी यूजर आईडी VIAJY40NEW3(C446210), bbmw99.com जिसका admin.bbmw99.com और यूजर नेम SBA14 व पासवर्ड A12345 के माध्यम से फोन में लॉगिन है जिनके माध्यम से सट्टा खेला जाता है।
2. 01 टैबलेट सट्टे से सम्बन्धित।
3. नगद 84,500/- रुपये।
4. एक अदद फार्चूनर कार न0 UP93 BX 2777,
5. 100 करोड़ के अवैध सट्टे/जुए का बहीखाता,
6. विभिन्न बैंक खातो में जमा 50,00,000/- की धनराशि को फ्रीज़ कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. शुभम उपाध्याय पुत्र स्व0 नरेन्द्र मोहन उपाध्याय निवासी मकान नं0 55 तिलियानी बजरिया थाना कोतवाली जिला झांसी उम्र 39 वर्ष,
2. विजय बाधवा पुत्र श्री वासुदेव बाधवा निवासी मकान नं0 1164/1 गल्ला मण्डी रोड सिंधी कालोनी थाना नवाबाद जिला झांसी उम्र करीब 45 वर्ष,
3. नितिन अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल निवासी 1734/1 मोहल्ला डडियापुरा बडागांव गेट बाहर रद्दी गोदाम के पास थाना कोतवाली जिला झांसी उम्र करीब 44 वर्ष

वाँछित अभियुक्तगणः-

1. पप्पू निवासी उन्नाव गेट, थाना कोतवाली झाँसी
2. पंकज राय निवासी छनियापुरा, थाना कोतवाली झाँसी
3. सौरभ लिखधारी निवासी चौधरियाना, थाना कोतवाली झाँसी
4. सोनू चड्ढा निवासी किदवई नगर, जिला कानपुर नगर
5. हरीश कुमार निवासी पनकी, जिला कानपुर नगर
6. आकाश चंचलानी निवासी द्वारिका कॉलोनी
7. सुमित साहू निवासी नगरा, थाना प्रेमनगर, झाँसी
8. रोशन मुंशी (पता अज्ञात)
9. आशीष उपाध्याय पुत्र प्रभाकर उपाध्याय नि0 तिलियानी बजरिया थाना कोतवाली, झांसी

<u>आपराधिक इतिहास (अभि0 शुभम उपाध्याय) –</u>

1. मु0अ0सं0 668/2019 धारा 147/323/452/504/506 भादवि0 थाना कोतवाली झाँसी
2. मु0अ0सं0 04/2022 धारा 3/4 जुआ अधिनियम थाना कोतवाली झाँसी
3. मु0अ0सं0 106/2022 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना कोतवाली झाँसी

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –</u>

1. प्रभारी निरीक्षक रवि श्रीवास्तव, थाना नवाबाद
2. उपनिरीक्षक निखिल कुमार (चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय)
3. उपनिरीक्षक नवीन कुमार
4. कांस्टेबल अतुल कुमार
5. कांस्टेबल अखिलेश कुमार